कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II उ.प्र.प्रयागराज

पत्रांक:- एई-2/03/नि०सं०(प्र)/विविध/2019/90/Vol-I/ दिनांक:-

परिपत्र

निर्माण समन्वय मे लोक निर्माण,सिंचाई,लघु सिंचाई,भूगर्भ जल विभाग,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के खंडों से प्राप्त लेखों मे प्रत्येक माह कुछ कमियाँ पायी जाती हैं जिससे इस कार्यालय द्वारा लेखों को राज्य लेखे मे सम्मिलित करने मे असुविधा का सामना करना पड़ता है एवं अनावश्यक पत्राचार आदि का कार्य बढ़ता है। अतःसमस्त खंडों को निर्देशित किया जाता है कि मासिक लेखों को इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की जांच करना सुनिश्चित करें:-

1- समस्त प्रपत्र मुख्यतः 64,65,70,74,79 आदि निर्धारित प्रारूप मे होने चाहिए। प्रपत्र 65,प्रपत्र 64 के प्रारूप मे स्वीकार नहीं किया जाएगा,कार्य से संबन्धित आंकड़े,आवंटन आदि संबन्धित कालम मे ही दर्शाएँ जाएँ तथा कोई भी कालम रिक्त न छोड़ा जाए ।

2- सभी प्रपत्रों यथा 70,73,79 आदि के भाग-2 मे, भाग -1 मे प्रदत्त आंकड़ो से संबन्धित विस्तृत विवरण अंकित होना चाहिए। प्रपत्रों के भाग -2 रिक्त नहीं होने चाहिए । उदाहरणार्थ यदि प्रपत्र 73 मे स्टॉक निर्गत अंकित है तो प्रपत्र के भाग -2 मे जिन कार्यो/शैड्यूल डॉकेट पर निर्गत है उनका विवरण अंकित होना चाहिए ।

3- रेमिट की गयी धनराशि के सापेक्ष चालान की सत्यापित छायाप्रति संलग्न होनी चाहिए जिसमे किस संस्था द्वारा धनराशि दी गयी है तथा किस कार्य हेतु दी गयी है , आदि विवरण अंकित होना चाहिए तथा धनराशि जिन कार्यो के विरुद्ध जमा की गयी है उनके सापेक्ष प्रपत्र -65 मे प्रदर्शित की जानी चाहिए।

4- वितीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 271 का अवलोकन करे जिसके अनुसार " it's not sufficient to state that the charges were erroneously classified previously." अतः अंतरण प्रविष्टि द्वारा समायोजन हेतु प्रस्तर 271 के अनुसार गलती का माह , अंतरण प्रविष्टि की आवश्यकता तथा सत्यता के संबंध मे आवश्यक व्याख्या अंकित करते हुए प्रस्तुत करे।

5- बजटीय व्यय एवं डीसीएल का लेखा अलग अलग न बनाया जाए , प्रपत्र 64 मे स्टॉक एवं ट्रेजरी के माध्यम से भुगतानित धनराशि अलग अंकित होने चाहिए ताकि व्यय के दोहरे लेखांकन से बचा जा सके।(इस कार्यालय के पत्रांक:380 दिनांक-05/09/2022 का संदर्भ ग्रहण करें)

6- प्रपत्र 64, 74 एवं datasheet मे प्रदत्त लेखाशीर्ष व उनके सापेक्ष व्यय अवश्य जांच ले । प्रपत्रों मे परस्पर कोई भिन्नता न हो।

7- Cash accounts, suspense accounts व अन्य प्रपत्रों का प्रारम्भिक अवशेष पूर्व माह के अंतिम अवशेष से मेल खाना चाहिए।

8- Remittance तथा डीसीएल (PWC) हेतु classification code भिन्न होता है । अतः प्रपत्र 77 तथा चालान मे सुसंगत लेखाशीर्ष अंकित करना सुनिश्चित करें।

9- प्रपत्र-51 मे वित्तीय वर्ष 2022-23 के सापेक्ष केवल DCL Token Issued की धनराशि का ही विवरण दें। CTR एवं Passbook की सत्यापित प्रति अवश्य संलग्न करें।

उपरोक्त बिन्दुओं की जांच मे यदि कोई शिथिलता बरती जाती है या लेखे मे अन्य कोई गंभीर विसंगति पायी जाती है तो इस कार्यालय द्वारा लेखा राज्य लेखे मे सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा सम्पूर्ण दायित्व विभाग का होगा ।

—Sd—

उपमहालेखाकार/निर्माण

पत्रांक:- एई-2/03/नि०सं०(प्र)/विविध/2019/90/Vol-I/603/TR No-383 दिनांक:- 06/12/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं समस्त अधीनस्थ को निर्देश जारी करने हेतु -

1. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०

2. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उ०प्र०

3. समस्त अधिशासी अभियंता/खंडीय लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, भूगर्भ जल विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

4. सहायक लेखाधिकारी, कम्प्युटर सेल, website पर अपलोड करने हेतु

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०सं०(प्र)